समयबद्ध

संख्या–1158 / 24–1–2018–2595 / 2008 टी0सी0

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 14 मई, 2018

विषयः– घाटमपुर तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी के लिए ओवर हेड पारेषण लाइनों का निर्माण कराने हेतु विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–68 के अधीन अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः–3063 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 / घाटमपुर / सेक्सन–68 / टी0बी0सी0बी0, दिनांक 17.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त घाटमपुर तापीय परियोजना की ऊर्जा निकासी के लिए ओवर हेड पारेषण लाइनों का निर्माण कराने हेतु विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–68 की उपधारा–1 के अधीन निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0 को अधिकृत किया जाता हैः–

(1) 400 के0वी0ए0 घाटमपुर टी0पी0एस0–कानपुर (पी0जी0) डी0सी0 लाइन।

(2) 765 के0वी0ए0 घाटमपुर टी0पी0एस0– आगरा (यू0पी0पी0टी0सी0एल0) एस0 सी0 लाइन (आगरा सिरे पर 189 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित)।

(3) 765 के0वी0ए0 आगरा (यू0पी0पी0टी0सी0एल0)–ग्रे0 नोयडा (डब्लू0यू0पी0पी0टी0सी0एल0) एस0 सी0 लाइन (आगरा सिरे पर 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित)।

(4) 765 के0वी0ए0 घाटमपुर टी0पी0एस0– हापुड (डब्लू0यू0पी0पी0टी0सी0एल0) एस0 सी0 लाइन (हापुड सिरे पर 330 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित)।

3– उपरोक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगाः–

(1) विद्युत अधिनियम 2003 जैसा कि समय समय पर संशोधित किया गया, के नियमों एवं विनियमों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) ओबर हेड लाइनों के सम्बंध में भारतीय विद्युत नियमावली 1956, जब तक कि वह विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बताये गये नियमों से प्रतिस्थापित न कर दी जाय, के द्वारा अधिष्ठापित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) घाटमपुर ट्रान्समिशन लि0 द्वारा टी0एस0पी0 के समस्त प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा और परियोजना का निर्माण कार्य परियोजना हेतु निर्धारित समयावधि तक पूर्ण किया जाय।

(4) शासन द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से पूर्व एक माह की नोटिस देकर उपरोक्त अनुमोदन / अनुमति वापस लिया जा सकता है।

4– कृपया प्रकरण में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।